भारत सरकार पर्यादरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीनृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुमाष रोड, देहरादून–248001 दूरमाष: 0135—2650809 फैक्स–0135—2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE-0135-2650809
FAX-0135-2653010

पत्र सं० ८बी / यू.सी.पी. / ०९ / ६० / २०२१ / एफ०सी० / / ५३.५

दिनांक: 25/01/2023

सेवा में.

 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहराद्न।

Email- moef.ddn@gov.in

पंजी० सं 12-1

विषय : जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोरवामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा क्ल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विमाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/OTHERS/21599/2016)

सन्दर्न:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -1642/FP/UK/ OTHERS/21599/2016 दिनांक 07-01-2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.01.2022 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में खुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :--

- I. In reply to point 1 and 2, it is observed that the reasonable clarification with sufficient proofs/documents is not yet furnished. It is requested to go through the point No. 1&2 of this office EDS dated (12.01.2022 and submit the requisite information/ documents/ clarification.
- Guidelines / norms / standards for various activities to be carried out have not been provided. State Government is requested to submit the documents in this regard.
- III. The State Govt. is requested to provide the information about existing stadiums/ sports complexes in the city and nearby areas.

IV. The layout plan uploaded as an additional documents in online Part I shows presence of hostels in the area, which has not been reflected in the component-wise breakup. State Government is requested to submit clarification in this regard and it is also requested that all the components are required to be provided at para B 2.4 (component wise breakup) in Part I.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डॉo योगेश गैरोली) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

> (डॉo योगेश गैरौला) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)